

कम आयों की श्रेणियों में एक वर्ष की अवधि अवधि के लिए अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित क्लाइमेट द्वारा संयुक्त अवधि की नियुक्ति होने तक, अथवा आगे के लिए प्रस्तावित होने तक, जो की पहले घोषित हो, विभागों में तदर्थ कल आयोग की संज्ञान पर अनुपेक्षा वांछित आयोग के दिशा पत्रों पर संक्रमण हा 550-140 में उत्तर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त नौकरों के लिए अधिकतम प्रदान करने की श्रेणियों में नियुक्ति आयोगों की तदर्थ एवं अधीन नियुक्ति समूह नाम के सम्पूर्ण विवरण संख्या में दी जाती है। यह नियुक्तियाँ पूर्णतया अधीन हैं एवं नियुक्त अवधि की समाप्ति तक ही समाप्ति की एक द्वारा शासनादेश संख्या 20/1/74-3 दिनांक 11 फरवरी 1973 के अनुसार एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।

क्रमांक	अवधि का नाम एवं रक्षायी पता	संस्था का नाम जहाँ नियुक्त किया जाना है।
1-	राजेश सिन्हा, पुत्र श्री लक्ष्मी लाल प्रसाद सिन्हा, कॉन्टैक्ट नं० 323 बी पिन- 201001 जिला - धरमपुरी।	राजकीय पालीटेक्निक, प्रतापगढ़
2-	सुनील यादव, पुत्र श्री अजय सिंह, ग्राम- दादर पिन- 201001, जिला- मुन्नाबाद।	श्री गंगा सागर जलिया पालीटेक्निक, मुन्ना।
3-	राम कुमार गुप्त, पुत्र श्री प्रभात प्रसाद गुप्त, 50/12, बूटा लाल काली, जालपुर।	श्री गंगा सागर जलिया पालीटेक्निक, मुन्ना।
4-	मनोम वन्द डबे, पुत्र श्री लालचन्द डबे, गोम- कुरावर, पिन- 201001 जिला- मेन्सरी।	राजकीय कौ संस्थान, जगरा।
5-	राजेश उपरध्याय, पुत्र श्री राजेश लाल उपरध्याय, सोत, जगा नगर, एटा।	राजकीय पालीटेक्निक, मुन्नाबाद
6-	जोगेंद्र पात्र पुत्र श्री हरि सिंह, नया बस्ती, बीटागवि, गाजियाबाद।	राजकीय पालीटेक्निक, बरेली
7-	अमरेश कौ, पुत्र श्री रमेश लाल, गाँव नं० पिन- 201001 जिला- मथुरा।	राजकीय पालीटेक्निक, गाजीपुर
8-	जय नारायण सिंह, पुत्र श्री प्रताप सिंह, ग्राम श्री जगन्नाथ सिंह, ग्राम- जमुनपुर, पिन- 201001 जिला- मुन्नाबाद	राजकीय पालीटेक्निक, बरेली

14/11

उपरोक्त अभ्यासों को प्रसारण ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र संश्लेषित होने लेंगे।

- 1- राजीव गांधी का प्रमाणित प्रतिलिपियां।
- 2- जो राजकीय अधिकारियों से सीरिक्ट प्रमाण पत्र जो उनके सम्बन्धी न हो।
- 3- राज्य विधिकरणशिक्षा ही द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र।
- 4- जो इसी जीवित होने का प्रमाण पत्र।
- 5- जो रसायन लोकार्थन के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण पत्र।
- 6- अन्य प्रमाण पत्र।

प्रसारण ग्रहण करने की सुझा के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र संश्लेषित भेजे जाते। यदि नियुक्त अभ्यर्थी दिनांक 25-1-86 तक प्रसारण ग्रहण करने में असमर्थ होता है तो जारी नियुक्ति आदेश निरस्त माने जायेंगे।

प्रसारण ग्रहण करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का बाधा भन्ना देय नहीं होगा।

श्री एम० सी० विवेक
 सहायक निदेशक प्राविधिक शिक्षा,
 उच्च शिक्षा विभाग,
 उत्तर प्रदेश।

निदेशालय प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

सं० 30960-78 / ई-3-दो-25बी/8 टेक-3-या०/ दिनांक जनवरी 4, 1986

प्रतिलिपि सुझाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को पेशित:-

- 1- प्रधानाचार्य, राजकीय प्रालीटेकनिक, प्रतापगढ़, बुर्जा, सुरदाबाद, बरेली, गाजीपुर तथा राजकीय चर्म संस्थान, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके समस्त वैयक्तिक व अन्य सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्रों की जांच कर लें तथा कार्यभार ग्रहण की सुझा निदेशालय तुरन्त भेजें। यदि अभ्यर्थी निधारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करता तो उसकी स्थिति से निदेशालय को तुरन्त सूचित करें।
- 2- सम्बन्धित अभ्यर्थी को उपरोक्त पत्र पर।
- 3- प्रकरण सहायक श्री नरेन्द्र पौल/ श्री पौल।
- 4- सहायक निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, 8 परतीय क्षेत्र, 19 विकास मार्ग, पौड़ी- गढ़वाल।
- 5- सहायक निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, 8 पणिकमी क्षेत्र, ऑकल 4, नैहर रोड, मेरठ।
- 6- सहायक निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, 8 पूर्वी क्षेत्र, एस-2/656-डी, 4वीं बिल्डिंग, वाराणसी।

श्री एम० सी० विवेक
 सहायक निदेशक प्राविधिक शिक्षा,
 उच्च शिक्षा विभाग,
 उत्तर प्रदेश।